

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-12) विभाग

क्रमांक : प.1(2)गृह-12/कारा/2018

जयपुर, दिनांक : 09.10.2020


:: आदेश ::

राजस्थान कारागार सेवा नियम 1959 के नियम 24 के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 23.09.2020 को राजस्थान कारागार सेवा के उप महानिरीक्षक के पदो पर वर्ष 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 की रिव्यू डीपीसी एवं वर्ष 2018-19 की नियमित डीपीसी हेतु विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अभिशंषाओं के आधार पर राजस्थान कारागार सेवा में **अधीक्षक ग्रेड-1** से निम्नांकित अधिकारियों का वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उनके सामने अंकित चयन वर्ष में राजस्थान कारागार सेवा में **उप महानिरीक्षक** के पद पर पदोन्नत किया जाता है-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	चयन वर्ष	विशेष विवरण
1.	श्री एम.एल. चौहान	2009-10	सेवा निवृत्त 31.05.2009
2.	श्रीमति प्रीता भार्गव	2009-10	सेवा निवृत्त 31.05.2018
3.	श्री ओटाराम	2011-12	स्वेच्छिक सेवा निवृत्त 20.03.2014
4.	श्री ए.आर. नियाजी	2012-13	सेवा निवृत्त 30.08.2015
5.	श्री विक्रम सिंह	2014-15	
6.	श्री सुरेन्द्र सिंह	2015-16	
7.	श्रीमति मोनिका अग्रवाल	2015-16	
8.	श्री कैलाश त्रिवेदी	2018-19	

उक्त अधिकारियों को पदोन्नति हेतु चयन वर्ष में उपलब्ध रिक्ति की तिथि से पदोन्नति का नोशनल लाभ देय होगा एवं उप महानिरीक्षक कारागार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक लाभ देय होगा।


आज्ञा से,


(कैलाश चन्द)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग।
4. महानिदेशक कारागार, जयपुर, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह विभाग।
6. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग।
7. महालेखाकार, (लेखा सिविल परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त।
9. सम्बन्धित अधिकारीगण मार्फत महानिदेशक कारागार।
10. प्रोग्रामर, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव